रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082025-265754
CG-DL-E-28082025-265754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3825] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2025/भाद्र 5, 1947
No. 3825] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2025/BHADRA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2025

का.आ. 3930(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3032 (अ), दिनांक 22 जून 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (सैदपुर के निकट अपने जंक्शन एनएच-31 से प्रारंभ होकर खुटहन, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर को जोड़ते हुए तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पलिया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 के खुटार बाईपास के आरंभ से शाहजहांपुर बाईपास के आरंभ तक (किमी 40.000 से किमी 88.750 तक) खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 2.125 कि.मी. की निवल सड़क खंड लंबाई (सारणी-2) पर चार या अधिक लेन वाले खंड के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर के शत-प्रतिशत पर तथा 33.830 कि.मी. की निवल सड़क खंड लंबाई (सारणी-2) और 1.860 कि.मी. (0.186 कि.मी. की लंबाई वाली, सारणी–4) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए दो लेन वाले पेव्ड शोल्डर खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर के साठ प्रतिशत पर और 10 करोड़ रू या उससे अधिक की लागत वाले 12.505 कि.मी. (सारणी-3) लंबाई वाले चार या अधिक लेन वाले बाईपास खंड के उपयोग के लिए आधार

दर के डेढ़ गुना पर, शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	**4.20**

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज किमी में)	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में चक कान्हू गाँव के पास एनएच-731 महानंदपुर के किमी/चेनेज़ 78.991 पर।	33.830 कि. मी. [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-sमें उल्लिखित आधार दरों का 60%
	2.125 कि. मी. [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

सारणी -3						
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाइपास की लंबाई** (किमी में) **और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर, जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (कि.मी.में)	**लागत (रुपए करोड़ में)**	
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में चक कान्हू गाँव के पास एनएच-	एनएच-731 का खुटार बाईपास	डिजाइन कि.मी. 41.080	डिजाइन कि.मी. 45.780	4.700	90.83	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

731 महानंदपुर के किमी/चेनेज़ 78.991 पर।	एनएच -731 का पवायां बाईपास	डिजाइन कि.मी 64.265	डिजाइन कि.मी 72.070	7.805	111.50	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
कुल				**12.505**		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी -4			
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	**संरचनाओं की लंबाई^ (किमी में) जिसे सड़क की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित किया जाएगा**	**समतुल्य सड़क की लंबाई (किमी में)**	**दर जिस पर शुल्क देय है**
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में चक कान्हू गाँव के पास एनएच-731 महानंदपुर के किमी/चेनेज़ 78.991 पर।	0.186^	1.860	पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^ब्योरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	**चेनेज़**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (कि.मी. में)**
	से कि.मी.	**तक कि.मी.**		
1	कि.मी. 75.609	कि.मी. 75.690	बड़ा पुल	0.081
2	कि.मी. 84.832	कि.मी. 84.937	बड़ा पुल	0.105
	कुल			**0.186**

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350.000/-रूपए (तीन सौ पचास रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 762.62 करोड़ रुपए है। [चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कामों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए , पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है।] प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. यूपीडीआईवी-20017/6/2025-पीआईयू बरेली/ई-251933]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2025

S.O. 3930(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3032(E) dated the 22th June 2018, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the National Highway No-731 (highway starting from its junction NH-31 near Saidpur connecting Khuthan, Jaunpur, Sultanpur, Lucknow, Hardoi, Shajahanpur and terminating at Paliya in the State of Uttar Pradesh) in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at hundred per cent of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 2.125 Km [Table-2] for use of four or more lane section and at the sixty per cent of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 33.830 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.860 km (having structure length 0.186 km, Table-4) for use of two lane paved shoulder section and at one and one half times of the base rate for bypasses having length of 12.505 km [Table-3] costing rupees ten crore or more for use of four or more lane section, on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of two and four lane of section Start of khutar bypass to start of Shahjahanpur bypass (from Km. 40.000 – Km. 88.750) of National Highway number 731 in the State of Uttar Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:

Table-1

Type of Vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05

Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:

Table-2

Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Length (in Km.) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km / Ch.78.991 of NH-731 Mahanandpur near village Chak Kanhu in District Shahjahanpur of Uttar Pradesh.	33.830 Km. [Excluding length of Bypass (costing>10 Cr.) and length of structures (>60m)]	60% for Two Lane with Paved Shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	2.125 Km. [Excluding length of Bypass (costing>10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plazas for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

Table-3

Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Taking off	Merging at	Length of bypass (in km) for which additional fee is Payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km)	Cost (in Rs. Cr)	
At km / Ch.78.991 of NH-731 Mahanandpur near village Chak Kanhu in District Shahjahanpur of Uttar Pradesh.	Khutar Bypass of NH -731	Design Km. 41.080	Design Km. 45.780	4.700	90.83	150% for Four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Powayan Bypass of NH -731	Design Km. 64.265	Design Km. 72.070	7.805	111.50	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
			Total	**12.505**		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:-

Table-4			
Location of Fee Plaza(s) (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent Road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At km / Ch.78.991 of NH-731 Mahanandpur near village Chak Kanhu in District Shahjahanpur of Uttar Pradesh.	0.186^	1.860	60% for Two Lane with Paved Shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under:

S. No.	**Chainage**		**Type of structure**	**Length (in Km)**
	From Km	**To Km**		
1	Km 75.609	Km 75.690	Major Bridge	0.081
2	Km 84.832	Km 84.937	Major Bridge	0.105
	Total			**0.186**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.350.00 (Rupees Three Hundred Fifty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-5		
Amount Payable	**Maximum number of one way journeys allowed**	**Period of Validity**
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table–1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 762.62 Crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized.

[F. No. UPDIV-20017/6/2025-PIU Bareilly /E-251933]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.28 11:28:50 +05'30'